

२२/२/२२ पत्रावली जमा हुई। प्राथमिक अधिकार अर्ज
न्यायालय सभ में प्राथमिक अधिकार की
कठ² का रीन बार आवान लगाई, लेकिन
प्राथमिक की ओर से कोई उपस्थिति नहीं
आ। प्राथमिक का आवेदन अदालत की अदालत
द्वारा ही खरीज किया जाता है। पत्रावली
प्रेशल सुनार हेतु वाकिल उपस्थित होने से
से का है।


उपखण्ड अधिकारी
चौहटन



। हेतु
कलकत्ता में लोक न्यायिक प्रणाली स्थापित
करने हेतु प्राथमिक अदालत के